न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : डॉ0मधु खरे

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3319–तीन/2015 – विरूद्ध आदेश दिनांक 13–10–2015– पारित व्दारा अनुविभागीय अधिकारी, सैलाना जिला रतलाम – प्रकरण कमांक 19/2014–15 अपील

गुलाब चन्द पुत्र शॅकरलाल कुलम्बी
ग्राम करिया तहसील सैलाना जिला रतलाम ---आवेदक

विरूद्ध

1– लक्ष्मण पुत्र पन्नालाल कुलम्बी
2– शॅकरलाल पुत्र आत्माराम कुलम्बी
3– शॅकरलाल पुत्र रामा कुलम्बी
4– श्रीमती कमलावाई पत्नि छोगालाल कुलम्बी
5– शोभाराम पुत्र पुनाजी मालवीय
ग्राम रिया तहसील सैलाना जिला रतलाम --- अनावेदकगण

(श्री अखलाकउद्धीन कुरेशी अभिभाषक – आवेदक)

आ दे श

(दिनांक 28 दिसम्बर, 2015)

अनुविभागीय अधिकारी, सैलाना जिला रतलाम द्वारा प्रकरण कमांक 19/2014–15 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13–10–15 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि तहसीलदार सैलाना व्दारा ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 32 पर दिये गये आदेश दिनांक 10–9–2010 के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी सैलाना के समक्ष अपील कमांक 19/2014–15 प्रस्तुत की एंव अपील मेमो के साथ अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन

प्रस्तुत किया। आवेदक व्दारा अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन पर आपत्ति आवेदन के साथ व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 7 नियम 11 का आवेदन भी दिया। अनुविभागीय अधिकारी सैलाना ने उभय पक्ष को सुनकर कर अंतरिम आदेश दिनांक 13-10-15 पारित किया तथा व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 7 नियम 11 का आवेदन निरस्त करते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित तथ्यों पर आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक ने तर्क दिया कि अनावेदक क-1 से जिस सर्वे नंबर एंव रकबे का विवाद है उसी से संबंधित तहसील सैलाना में संहिता की धारा 115,116 के अंतर्गत अनावेदक क-1 ने इन्द्राज दुरूस्ती का दावा किया है जिसका प्रकरण कमांक 12/14-15 अ-6-अ है और इसी दरम्यान अनावेदक क-1 ने अनुविभागीय अधिकारी सैलाना के समक्ष अपील कमांक 19/14-15 प्रस्तुत की है जिस पर आवेदक ने व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 7 नियम 11 का आवेदन दिया एंव आपत्ति की है कि एक ही विषय वस्तु पर दो न्यायालयों से अनुतोष नहीं मांगा जा सकता, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने जानबूझकर अवधि विधान की धारा-5 के आवेदन को स्वीकार करने एंवयवहार प्रकिया संहिता आदेश 7 नियम 11 का आवेदन निरस्त करने में भूल की है। उन्होंने निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी, सैलाना के अंतरिम आदेश दिनांक 13-10-15 को निरस्त करने की प्रार्थना की।

5/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी सैलाना के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता आदेश 7 नियम

11 के अंतर्गत आवेदन देकर आपत्ति की है कि जब अनावेदक क-1 ने भूमि सर्वे कमांक 428 रकबा 0.270 हैक्टर समरथ पुत्र शोभराम को विक्रय कर दी एंव केता का इस भूमि पर नामांत्रण भी हो गया, और इसी भूमि को लेकर तहसील सैलाना में प्रकरण कमांक 12/14-15 अ-6-अ संहिता की धारा 115,116 के अंतर्गत इन्द्राज दुरूस्ती का प्रकरण दर्ज कराया है तथा इसी भूमि के सम्बन्ध में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील भी अनावेदक क-1 ने की है। साथ ही अनावेदक क-1 के नामान्तरण पंजी पर दिनांक 9-8-10 को हस्ताक्षर भी हुये हैं परन्तु अनविभागीय अधिकारी सैलाना ने प्रकरण कमांक 19/2014-15 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13-10-15 में उक्त तथ्यों पर विचार न करते हुये सरसरी-तौर पर आदेश दिनांक 13-10-15 पारित कियाा है, जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रूप से स्वीकार की जाकर अनुविभागीय अधिकारी सैलाना द्वारा प्रकरण कमांक 19/2014-15 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 13-10-15 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अनुविभागीय अधिकारी सैलाना तहसील न्यायालय के प्रकरण कमांक 12/14-15 अ-6-अ के तथ्यों की, नामान्तरण पंजी पर अनावेदक क-1 के हस्ताक्षरों की तस्दीक करें तथा उभय पक्ष को श्रवण कर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर